

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर:- 86/2021

(जी सी एम एस नम्बर 2021/140)

उनवान प्रकरण :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-संतो पत्नि श्यामा कौम काछी निवासी वहवलपुर तहसील धौलपुर
- 2-कलुआ पुत्र श्यामा कौम काछी निवासी वहवलपुर तहसील धौलपुर
- 3-मोहनसिंह पुत्र विधाराम कौम काछी निवासी वहवलपुर तहसील धौलपुर
- 4-छीतरिया पुत्र श्यामा कौम काछी निवासी वहवलपुर तहसील धौलपुर
- 5-कमला पुत्री श्यामा कौम काछी निवासी वहवलपुर तहसील धौलपुर
- 6-लोंगो पुत्री श्यामा कौम काछी निवासी वहवलपुर तहसील धौलपुर

.....अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकगण :-

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| प्रार्थी की ओर से | - श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभि० |
| अप्रार्थीगण की ओर से | - श्री राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट |

निर्णय

दिनांक 05.04.2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि श्यामा पुत्र परसादी जाति काछी निवासी वहवलपुर तहसील धौलपुर खसरा नम्बर 180/470 रकवा 1.08 ग्राम वहवलपुर में बन्दोबस्ती सम्बत 2028 में गैरखातेदार रिकार्ड दर्ज है बन्दोवस्त पूर्व मुताविक खसरा गिरदावरी सम्बत 2029-30 के खसरा 104 में आवंटन दिनांक 11.6.66 श्यामा पुत्र परशादी को रकवा 1-14 आवंटित दर्ज है। श्यामा पुत्र परशादी का देहान्त होने के बाद जरिये नामान्तरण संख्या 333 दिनांक 20.8.2005 को संतो पत्नि स्व०श्यामा, कलूआ, छीतरिया पुत्रान श्यामा,

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(2)

न्या०.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: सरकार बनाम संतो वगैरा
रैफरेन्स संख्या 86/2021



लोगों, कमला पुत्रीयान श्यामा गैरखातेदार रिकार्ड दर्ज किया गया है। तहसीलदार धौलपुर के आदेश क्रमांक भू.अ./08/1295 दिनांक 01.05.2008 के द्वारा गैरखातेदार से खातेदारी प्रदान करने के आदेश प्रदान किये गये हैं जिसका अमल जरिये नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 03.05.2008 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1,2,4,5,6 को स्वीकृत हुआ है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद संतो पत्नि श्यामा व कलुआ पुत्र श्यामा द्वारा खसरा नम्बर 180/470 रकवा 1.08 में अपने हिस्से का बेचान किया गया जिसका अमल जरिये नामान्तकरण संख्या 364 दिनांक 5.6.2008 अप्रार्थी संख्या-3 मोहनसिंह पुत्र विधाराम के नाम दर्ज रिकार्ड आये। राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10. (56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम वहवलपुर को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अधिसूचना का अनुमोदन नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10. (56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 16.04.2013 के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 9(15)राज-6/2005 पार्ट/13 दिनांक 13.5.2015 के द्वारा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परिधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां राज्य सरकार एवं संभागीय आयुक्त महोदय से हटाकर आवंटी द्वारा कमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को प्रदत्त की गई है। ग्राम वहवलपुर नगर परिषद धौलपुर की परिधीय क्षेत्र में और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित बाजार दर की 20 प्रतिशत राशि राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नियमानुसार खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है किन्तु अप्रार्थी की ओर से न तो कोई राशि जमा कराई गई और न ही गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण के निर्णय के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया। इस प्रकार नगर परिषद धौलपुर के परिधीय क्षेत्र में दी गई खातेदारी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारों से परे जाते हुए सम्भागीय आयुक्त महोदय एवं राज्य सरकार की अधिकारातीत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के विपरीत खातेदारी दी गई। जबकि प्रकरण में गैरखातेदार द्वारा भूमि की राशि की 20 प्रतिशत राशि 96656/-रु जमा नहीं कराई गई है और ना ही प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसके कारण गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु निर्णित नामान्तकरण विधि के बिरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 03.05.2008 को निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण को रैफरेन्स करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर दिनांक 10.12.2017, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(3)

न्या० जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: सरकार बनाम संतो वगैरा
रैफरेन्स संख्या 86/2021

2029-30, जमाबन्दी बन्दोवस्त, नकल नामान्तकरण संख्या-333, नकल खातेदारी आदेश 1.5.2008, नकल नामान्तकरण संख्या-363, नकल नामान्तकरण संख्या 364, नकल जमाबन्दी सम्बत 2071-74, नक्शा ट्रेस, नकल खसरा सम्बत 2071-74, नकल जमाबन्दी वर्ष 2006 अधिसूचना 21.6.07, अधिसूचना 13.5.15, अधिसूचना 17.10.2012, अधिसूचना 16.4.2013 पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि कार्यालय तहसीलदार धौलपुर के आदेश क्रमांक 1295 दिनांक 01.05.2008 आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा समस्त शर्तों का पालन करके विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण संतो वगैरा को नामान्तकरण संख्या 363 ग्राम वहवलपुर दिनांक 03.5.2008 से खातेदारी प्रदान की गई। उस समय ग्राम वहवलपुर ना तो नगर परिषद की सीमा में था ना ही नगर परिषद की परधीय क्षेत्र में था वहवलपुर ग्रामिण क्षेत्र था जिसे 17.10.2012 को संशोधन दिनांक 16.4.2013 में नगर परिषद धौलपुर का परधीय ग्राम घोषित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21.6.2007 एवं 13.05.2015 के प्रावधान इस आराजी पर लागू नहीं होते है। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उस समय ग्राम वहवलपुर परधीय ग्राम नहीं था तो 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का कोई ओचित्य नहीं है। प्रकरण बिधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 03.5.2008 खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण बिधि बिरुद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10.(56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम वहवलपुर को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अधिसूचना का अनुमोदन नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10.(56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 16.04.2013 के द्वारा किया गया है। नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परिधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां राज्य सरकार एवं संभागीय आयुक्त महोदय से हटाकर आवंटी द्वारा कमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को प्रदत्त की गई है। ग्राम वहवलपुर नगर परिषद धौलपुर की परिधीय क्षेत्र में और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित बाजार दर की 20 प्रतिशत राशि राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नियमानुसार

(आरो के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर



(4)

न्याय.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: सरकार बनाम संतो वगैरा
रैफरेन्स संख्या 86/2021

खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है किन्तु अप्रार्थी की ओर से न तो कोई राशि जमा कराई गई और न ही गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण के निर्णय के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया। इस प्रकार नगर परिषद धौलपुर के परिधीय क्षेत्र में दी गई खातेदारी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण संतो वगैरा को दिनांक 01.5.2008 को प्रदान की गई जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में दिनांक 03.5.2008 को किया गया उस समय ग्राम वहवलपुर ना तो नगर परिषद की सीमा में था ना ही नगर परिषद की परिधीय क्षेत्र में था वहवलपुर ग्रामिण क्षेत्र था जिसे 17.10.2012 को संशोधन दिनांक 16.4.2013 में नगर परिषद धौलपुर का परिधीय ग्राम घोषित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना व दिनांक 21.6.2007 एवं 13.05.2015 के प्रावधान इस आराजी पर लागू नहीं होते हैं। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उस समय ग्राम वहवलपुर परिधीय ग्राम नहीं था तो 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण बिधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण नामान्तरण संख्या 363 दिनांक 03.5.2008 खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण बिधि बिरुद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या-2 में अप्रार्थीगण को विवादित आराजी ग्राम वहवलपुर के नामान्तरण संख्या 363 दिनांक 03.05.2008 से गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किया जाना अंकित किया है। प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या-5 में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10.(56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम वहवलपुर को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण को दिनांक 03.05.2008 को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई और ग्राम वहवलपुर नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम दिनांक 17.10.2012 को घोषित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वरवक्त खातेदारी प्रदान करते समय ग्राम वहवलपुर नगर पालिका धौलपुर की परिधीय क्षेत्र की सीमा में नहीं था। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रस्तुत तथ्यों से पुष्टि नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसेल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर